

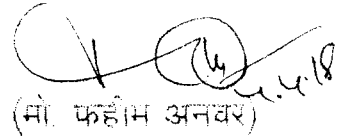
उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर
// आदेश //

क्रमांक B/1943 /
II-14-9/83 Pt. XVII

जबलपुर, दिनांक ०७/०३/२०१८

श्री रविन्द्र कुमार भिमटे, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को मध्यप्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा आयोजित सीपीसीटी परीक्षा वर्ष 2018 में सम्मिलित होने की अनुमति निम्नांकित शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है :-

- 1 यह कि साधारण तौर पर अध्ययन हेतु किसी प्रकार का अवकाश नहीं दिया जावेगा। अवकाश केवल परीक्षा की अवधि (परीक्षा के दिन) तक सीमित रहेगा। यदि परीक्षा स्थगित हो जाती है, तो अवकाश का उपभोग न कर स्वतः कार्य पर उपस्थित होना होगा, बिना पूर्वानुमति के अवकाश का उपभोग नहीं करेंगे।
- 2 कार्यालयीन समय में शासकीय कार्य को लगन से करना होगा, ताकि कार्य में व्यवधान न हो तथा कार्यालयीन कार्य प्रतिकूल रूप से प्रभावित न हो। यदि यह पाया गया कि वे शासकीय कार्य की अवहेलना करते हैं तो यह अनुमति किसी भी समय निरस्त की जा सकती है।
- 3 यह कि दोपहर के अवकाश के अलावा अपने स्थान पर न जाएं तो यह अनुमति निरस्त कर दी जावेगी तथा आगामी तीन वर्षों के लिए अध्ययन हेतु अनुमति नहीं दी जावेगी।

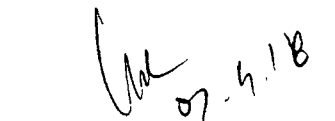

(मो. फहीम अनवर)

रजिस्ट्रार जनरल

क्रमांक B/1944 /
प्रतिलिपि :-

जबलपुर, दिनांक ०७/०३/२०१८

1. रजिस्ट्रार (प्रशासन) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 2. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (प्रोटोकॉल), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 3. कोर्ट मैनेजर, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 4. अनुभाग अधिकारी स्थापना/फाइलिंग उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 5. सहायक स्थापना, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
 6. श्री रविन्द्र कुमार भिमटे, सहायक ग्रेड-तीन, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


(चन्द्रशेखर कुमार खरे)
रजिस्ट्रार (प्रशासन)